

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम  
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र  
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 244/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक W0522722

विषय :- बिजली बिल सुधार हेतु।

श्री शशांक हरि भाले,  
232, लोकमान्य नगर,  
इन्दौर म.प्र.,  
विरूद्ध

-----परिवादी

कार्यपालन यंत्री (मध्य शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकलि. इन्दौर,

-----उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 22.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से श्रीमती रचना भाले, उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकलिमि. की ओर से श्रीमती शुभ्रा श्रीवास्तव, कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका सर्विस कनेक्शन क्रमांक N3001001179, स्वीकृत भार 6.0 किलो वॉट है। उपरोक्त विषय अनुसार मेरा उपभोक्ता क्रमांक N3001001179, शशांक भाले 232, लोकमान्य नगर इन्दौर के नाम से है, माह अप्रैल-2022 में मीटर रीडिंग 1191 खपत दिखाई गई है, और घर में कोई नही था, व मीटर बदली करने के 5 दिन में यूनिट 650 से ज्यादा दिखाई जा रही है, जिसकी पुष्टि के लिये कन्जुमर रीपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

परिवादी द्वारा अतिरिक्त जवाबदावा प्रस्तुत किया है:-

मई-22 महीने में मीटर रीडिंग अत्यधिक बताई गई है, यदि आप गौर करे तो 22.04.2022 से 21.05.2022 तक मीटर खपत 1191 रीडिंग बताई गई है। 37852 से 39043 जिसके लिये PNR Report दी गई है। साथ ही जब शिकायत बिजली विभाग में की गई तो 21.05.2022 से 11.06.2022 तक की मीटर रीडिंग को देखते हुये जो 600 से ज्यादा हो गई थी इसलिये अधिकारी ने मीटर बदलने की स्वीकृति प्रदान की और नया मीटर 19.06.2022 को लगाया था। और नया मीटर ओके है कोई शिकायत नही है, पुराने मीटर की केवल उपरी जांच की गई है।

आंतरिक gear की कोई जांच नही की गई है इसलिये आपसे निवेदन है कि बिल की ठीक किया जाये व जो राशि जमा की गई है और पेन्डींग भी हटाया जाये।

**विपक्ष का कथन :-**

विपक्ष द्वारा लेख किया गया है कि, उपभोक्ता श्री शशांक हरि भालेराव पता 232 लोकमान्य नगर इन्दौर (सर्विस क्रमांक N3001001179 ) का 6 किलो वॉट घरेलू विद्युत संयोजन है। अधिक बिल आने पर उपभोक्ता द्वारा शिकायत के निराकरण हेतु उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज कराया गया है शिकायत के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

1. माह मई-22 में उपभोक्ता को 1191 यूनिट का राशि रु. 10860/- का विद्युत देयक जारी हुआ। अधिक बिल आने पर उपभोक्ता द्वारा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गयी, एवं दिनांक 15.06.2022 को किश्त में राशि रु. 3000/- का भुगतान किया गया।

2. उपभोक्ता द्वारा मीटर तेज चलने की शिकायत पर दिनांक 19.06.2022 को मीटर चेंज कर दिया गया है, पुराने मीटर एवं नए मीटर का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पुराने मीटर का विवरण				नए मीटर का विवरण			
1.	मीटर नंबर	मेक	क्षमता	F.R	मीटर नंबर	मेक	क्षमता	S.R
	77366104	Elymer	10-40 AMP	39652	8725311	Avon	10-40 AMP	3223

दिनांक 24.06.2022 को उपभोक्ता का मीटर LTMT लेब इन्दौर में जांच कराने पर मीटर OK पाया गया जांच रिपोर्ट से उपभोक्ता के संतुष्ट ना होने पर पुनः दिनांक 18.07.2022 को मीटर उपभोक्ता के समक्ष LTMT लेब इन्दौर में जांच कराया गया, मीटर पुनः OK पाया गया।

3. वर्तमान में उपभोक्ता के विद्युत देयक में बकाया राशि रु.18026/- है, उपभोक्ता द्वारा माह जून-22 के पश्चात विद्युत देयक का भुगतान नहीं किया गया है।

4. दिनांक 17.08.2022 को परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर 8.3 किलो वॉट लोड संयोजित पाया गया मीटर में रीडिंग 3750 kwh एवं M.D 2.9 kw है। उपरोक्त जानकारी आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- 1. भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।

2. पासबुक की कॉपी।

3. डिस्पोजल कॉपी।

4. LTMT जांच रिपोर्ट।

**फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-**

परिवादी के माह मई-22 की अधिक खपत 1191 यूनिट माह जून-22 की 600 यूनिट की राशि पर आपत्ति दर्ज की है विपक्ष ने कथन में बताया है कि मीटर तेज चलने की शिकायत पर मीटर टेस्टिंग दिनांक 24.06.2022 को मीटर सही पाया। दिनांक 17.08.2022 को परिसर का भौतिक सत्यापन को 8.3 किलो वॉट लोड संयोजित पाया।

उभयपक्षों के कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी का स्वीकृत भार 6 किलो वॉट एवं संयोजित भार 8.3 किलो वॉट पाया गया है। बिलिंग विवरण एवं PMR रीडिंग माह मई-22, माह जून-22 की खपत क्रमशः 1191 यूनिट एवं 684 यूनिट सही है। अतः परिवादी को माह मई-22 का 1191 यूनिट का राशि रु. 10860/- के विद्युत देयक का भुगतान करना चाहिए।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, परिवादी का स्वीकृत भार 6 किलो वॉट एवं संयोजित भार 8.3 किलो वॉट पाया गया है। बिलिंग विवरण एवं PMR रीडिंग माह मई-22, माह जून-22 की खपत क्रमशः 1191 यूनिट एवं 684 यूनिट सही है। अतः परिवादी को माह मई-22 का 1191 यूनिट का राशि रु. 10860/- के विद्युत देयक का भुगतान करने योग्य है।

03/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करें।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल के.कट्ठर),  
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई)  
सदस्य

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)  
अध्यक्ष